छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 101 (App.) / II-14-1/2023 (AG-III) बिलासपुर, दिनांकः 23 दिसंबर, 2024

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों: –

स.क्र.	नाम (श्री/श्रीमति/कु./सुश्री)/ पिता/माता का नाम	पता	वर्ग जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
1.	JAVED ALI S/O SHRI YUNISH ALI	Kanhaiya Lal Wali Gali, Subhash Nagar, Muraina, (M.P.) 476001	UR
2.	KULDEEP SHARMA S/O SHRI RAJESH SHARMA	Behind Vishnu Mandir, Indira Colony, Shivpuri, (M.P.) 473551	UR
3.	HEMANT KUMAR GHRITLAHARE S/O SHRI K.D. GHRITLAHARE	L.I.G.-I, House No. 242, Slice-2 Hirapur Colony, Veer Sawarkar Nagar, Raipur, (C.G.), 492099	UR
4.	TAPESH KUMAR JAYSWAL, S/O SHRI RAMMANI JAYSWAL	Village-Paipakhar, Post-Baraom, Tah.-Hanumana, Dist-Mauganj, (M.P.), 486331	UR
5.	SIDDHARTH SHRIVASTAVA, S/O SHRI RAVINDRA SHRIVASTAVA	Ward No.-8, Pradhanpura, Jatara, Tikamgarh, (M.P.), 472118	UR
6.	DURGESH KUMAR, S/O SHRI RAM GOVIND	House No. 404, Ward No. 17, Yamuna Nagar, Mangala, Bilaspur, (C.G.), 495001	UR
7.	SHAHLA KHAN, D/O SHRI SIRAJ MOHAMMED KHAN	Rajendra Nagar, Near Mission High School, Bilaspur, (C.G.), 495001	UR-FEMALE
8.	ANUSHREE PATHAK, D/O SHRI RAJESH PATHAK	Plot No. 52, Opposite Muskan City, Akta Chowk, Vijay Nagar, Jabalpur, Lamti, Jabalpur, (M.P.) 482001	UR
9.	DULESHWAR DAS CHATURVEDANI, S/O SHRI ITWARI RAM CHATURVEDANI	Village-Baktara, Post-Kendri, Block-Abhanpur, Dist-Raipur, (C.G.), 493661	UR
10.	NITISH NARWANI, S/O SHRI SURESH NARWANI	House No. 54, Near Sindhi Gurudwara, Bramhan para ward, Dhamtari, (C.G.), 493773	UR
11.	DANISH SALEEM MIRZA, S/O SHRI M.S. BEG	A.O.-01, Aasma City, Phase-4, Mungeli Road, Sakri, Bilaspur, (C.G.), 495003	UR
12.	SHRASHTI SIKARWAR, D/O SHRI GAJENDRA SINGH SIKARWAR	Jiwaram ki boundry, Sanjay Colony, Muraina, (M.P.), 476001	UR
13.	VEENU HALKARE, D/O SHRI DEVIPRASAD	Ward No. 8, At Post-Kanjai, Tah-Lalburra, Dist-Balaghat, (M.P.), 481441	UR
14.	RAHEMT A NOOR D/O SHRI NAIM QURESHI	Ward No. 10, In front of Balaghat Hospital, Bhatera Road, Balaghat, (M.P.), 481001	UR

23/12/24.

स.क्र.	नाम (श्री/श्रीमति/कु./सुश्री)/ पिता/माता का नाम	पता	वर्ग जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
15.	MUKESH S/O SHRI TUKARAM	At Kapasiya, Post-Chikhalikala, Tah-Multai, Dist-Betul, (M.P.), 460663	UR
16.	MANI RAM S/O SHRI PARAS RAM	Village-Sankari, Post-Bhukel, Tah-Basana, Dist-Mahasamund, (C.G.), 493554	UR
17.	ABHILASH S/O SHRI SURESH MANIKPURI	Near Chandramauli Shiv Mandir, Ward No. 65, Bandhawapara, Sarkanda, Bilaspur, (C.G.), 495001	UR
18.	SHYAM SHIVHARE S/O SHRI OMPRAKASH	Bharoshi Dharamshala, Duttapura, Muraina, (M.P.), 476001	UR
19.	FAIYAZ AHMED KHAN S/O SHRI EJAZ AHMED KHAN	Ward No. 41, Behind Maharastra Mangalam, Kelabadi, Durg, (C.G.), 491001	UR
20.	ASHISH KURREY, S/O SHRI CHANDRA BHUSHAN	Village-Patnakapa, Post-Sambalpur, Tah-Navagarh, Bemetara, (C.G.), 491340	UR
21.	HIMANSHU BAHELIYA, S/O SHRI CHHOTELAL BAHELIYA	C/o Pankaj Bisarya, Plot No. 10, Malviya Nagar, Bhopal, New Market Bhopal, (M.P.), 462003	UR
22.	ISHANT THAKRE S/O SHRI RAMPRASAD THAKRE	Ward No. 15, Dhanywaad Chouk, Tirodi, Balaghat, (M.P.), 481009	UR
23.	MUKUL GOSWAMI S/O SHRI PRAMOD GOSWAMI	In front of BMC College, Near-Gayatri R O Water, Tirupati Puram Colony, Tili Ward, Sagar, (M.P.), 470002	UR
24.	SAURAV KUSHWAHA S/O SHRI RAJENDRA KUMAR KUSHWAHA	Jawahar Nagar, Lane No. 3, In front of Santoshi Mata Mandir, Satna, (M.P.), 485001	UR
25.	AMBRISH KUMAR CHANDRAKAR S/O SHRI SATYAWAN CHANDRAKAR	House No. 230, Village-Didga, Post-Ranitarai, Tah-Patan, Dist-Durg, (C.G.), 491223	UR
26.	MAHENDRA SINGH RAJPOOT, S/O SHRI MAHAVEER SINGH RAJPOOT	C/o Shri C.S. Thakur, In front of Jagat Mishra House, Bangali Para, New Sarkanda, Sipat Road, Bilaspur, (C.G.), 495001	UR
27.	DEEPAK KUMAR KOSTI S/O SMT. LALITA BAI KOSTI	House No. 2027, Sai Colony, Sanchar Nagar, Beside Maruti Suzuki Workshop, Deendayal Chowk, Jabalpur, (M.P.), 482002	UR
28.	KUSH KUMAR SHARMA S/O SHRI INDRA KUMAR SHARMA	Gwalior By-pass, New Darpan Colony, In front of Preet Baba Temple, Shivpuri, (M.P.), 473551	UR
29.	YASHIKA SHARNAGAT D/O SHRI TILAK CHAND SHARNAGAT	Black Down Out House, Pachpedi, Civil Line, Near RDVV, Jabalpur, (M.P.), 482007	UR
30.	RAHUL SHIVHARE, S/O SHRI SUNIL SHIVHARE	Nand Ram wali Gali, Islaampura, Muraina (M.P.), 476001	UR
31.	ALISHA ANSARI, D/O LATE SHRI MANSOOR AHMED ANSARI	House No. 83, Ward No. 9, Gautam Nagar, Supela, Near Pramod Kirana Store, Bhilai, Durg, (C.G.), 490023	UR-FEMALE

23/12/24.

स.क्र.	नाम (श्री/श्रीमति/कु./सुश्री)/ पिता/माता का नाम	पता	वर्ग जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
32.	BULBUL PATHAK, D/O SHRI VINAY KUMAR PATHAK	101-Tranjist Hostel, Mata Mandir, Bhopal, (M.P.), 462003	UR
33.	KISHAN KUMAR MARKAM, S/O SHRI RAJENDRA PRASAD MARKAM	In front of Anganwadi Office, Indira Nagar, Towar Mohalla, Pali, Korba, (C.G.), 495449	UR

को चयन सूची से **सहायक श्रेणी–तीन** **(Assistant Grade-III)** के पद पर पे मेट्रिक्स के **लेवल–4 (19500-62000)** में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से **3 वर्ष की परिवीक्षा पर** निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त किया जाता हैः–

(1) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक सेवा हेतु स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जायेगा।

(2) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

(3) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहें तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(4) चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 13.01.2025 तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा।

(5) **वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।**

(6) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जा सकेगा।

(7) उन्हे अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

(8) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।

(9) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होगें, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(10) उन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करना होगा **साथ ही समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित दो छांयाप्रतियां अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री में प्रस्तुत करना होगा** । यह पाये जाने पर कि उन्होंने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत

23/12/24.

प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

(11) **यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जॉच के अध्याधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।**

(12) **उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु प्रावीण्य सूची में उपरोक्तानुसार उनके क्रम से शासित होगी।**

(13) यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट पर भी अपलोड की जा रही है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

(14) यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन **S.L.P. (C) No. 19668/2022** द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

(15) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

सही/–
(के. विनोद कुजूर)
रजिस्ट्रार जनरल

नोटः– उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में दिनांक 25.12.2024 से 01.01.2025 तक अवकाश रहेगा।

पृष्ठां. क्रमांक 20962/II-14-1/2023 बिलासपुर, दिनांकः 23 दिसंबर, 2024

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. रजिस्ट्रार (सतर्कता/आई.एण्ड ई./न्यायिक/एस.एण्ड.ए. सेल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई. एण्ड ई./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
4. प्रभारी रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)–सह–सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त आदेश को उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एन.आई.सी. शाखा को निर्देशित करने का कष्ट करें,
5. एडिशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक/प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. ओ.एस.डी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. समस्त रजिस्ट्रार(एम.)/ज्वाईंट रजिस्ट(एम.)/एडिशनल रजिस्ट्रार(एम.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

8. बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त डिप्टी रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
10. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
11. सहायक रजिस्ट्रार (आवक–जावक शाखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश की प्रति संबंधित की ओर रजिस्टर्ड डाक (ए.डी. सहित) प्रेषित करें, साथ ही तामिली पश्चात् तत्काल तामिली प्रतिवेदन स्थापना शाखा की ओर प्रेषित करें,
12. कोर्ट ऑफिसर/अनुभाग अधिकारी (लेखा/प्रोटोकॉल/कैश/पेंशन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
13. उपरोक्तानुसार सारणी के सरल क्रमांक 1 से 33 तक के अभ्यर्थीगण,

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

23/12/24.

(के. विनोद कुजूर)
रजिस्ट्रार जनरल